न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

प्रार्थना–पत्र संख्याः 109/2021 दायर दिनाँक 20.07.2021

प्रार्थी		अप्रार्थी
1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. सुरेश पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी जायल, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर राज.।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 84–86 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री प्रभुदयाल व्यास तहसीलदार, डीडवाना प्रार्थी।

दिनाँक 27.08.2021

–:: निर्णय ::–

तहसीलदार, डीडवाना ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/21/1776 दिनांक 15.07.2021 के द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि नायब तहसीलदार खाटू खर्दु को शिकायत प्राप्त हुई कि ख.न. 1395 से बिना अनुमति के हरे वृक्ष काटे गये है। नायब तहसीलदार खाटू खुर्द, भू.अ.नि. खाटू खुर्द एवं पटवार हल्का पटवारी खाटू खुर्द ने मौके पर खसरा 1395 के बजाय खसरा सं0 2565/1375, 2566/1375 व 2567/1375 में से 11 खेजड़ी के हरे वृक्ष काटे गये है।

नायब तहसीलदार खाटू खुर्द के मौका रिपोर्ट के अनुसार 11 खेजडी के हरे पेड कटे हुए मौके पर पडे थे जिन्हे पटवारी हल्का खाटू खुर्द को सुपुर्द कर नायब तहसीलदार खाटू खुर्द पत्रांक राजस्व/21/182 दिनांक 14.07.2021 के द्वारा राजकीय तहविल में लिया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये [illegible] तलब किया गया। अप्रार्थी सुरेश ने स्वयं अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा सं0 1395 में हरे वृक्ष काटने की शिकायत की गई थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:31:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पर इस खसरा में हरे वृक्ष काटे हुए नही थे। जबकि अप्रार्थी द्वारा जो हरे वृक्ष काटे वो सरपंच ग्राम पंचायत छोटी खाटू की सहमति से सार्वजनिक कार्य हेतु काटे गये थे। जिस स्थान पर वर्तमान में लगभग 100 पौधे लगा दिये गये है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य जानबुझ कर नहीं होकर सहवन से सार्वजनिक हितार्थ था। भविष्य में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पेड़ नही काटूगां।

प्रार्थी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। नायब तहसीलदार खाटू खुर्द की रिपोर्ट अनुसार ग्राम खाटु खुर्द के ख.न. खसरा सं0 2565/1375, 2566/1375 व 2567/1375 में कटे सभी 11 पेड़ो को राजकीय तहविल में लिया जा चूका है एवं अप्रार्थी को इस संबन्ध में जुर्माना भरवारक कार्यवाही समाप्त करना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वाके सरहद खाटु खुर्द के ख.न. खसरा सं0 2565/1375, 2566/1375 व 2567/1375 में कटे सभी 11 पेड़ो का जुर्माना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 84–86 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 100/– अक्षरें एक सौ रू0 प्रति वृक्ष के हिसाब से कुल 11 पेडों के 1100/– अक्षरे एक हजार एक सौ रू0 जुर्माना आरोपित किया जाता है तथा राजकीय तहविल में लिये गये पेडों की नियमानुसार विधिवत निलामी इस्तेहार जारी कर निलाम करावें तथा अधिकतम बोलीदाता के नाम निलामी छोडते हुए राशि राजकोष में जमा करावें।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 27.08.2021 को [illegible] इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:31:39 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner